भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1573

दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ

राज्यों का कार्य-निष्पादन

1573. श्री टी.आर.वी.एस.रमेश:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के पंचायत संबंधी प्रमुख कार्यक्रमों में किए गए कार्यों के संदर्भ में राज्यों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के संतोषजनक कार्य-निष्पादन हेतु उत्तरदायी कारक, यदि कोई हैं तो कौन-कौन से हैं;

(ग) इस संबंध में कुछ राज्यों के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन का कारण, यदि कोई है तो, क्या है; और

(घ) मंत्रालय के इन प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में राज्यों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना और गांवों में बसावट वाले क्षेत्रों में घरों के ग्रामीण गृह स्वामियों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी (**SVAMITVA)** द्वारा गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का राज्य-वार कार्य-निष्पादन क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) बैठकों, वीडियो-सम्मेलनों, नियमित फीडबैक, डैशबोर्ड डेटा, जारी किए गए धन के उपयोगिता प्रमाण पत्र की समय पर प्रस्तुति की मांग, हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वयन आदि के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की सतर्कतापूर्वक और गहन निगरानी संतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारक हैं।

(ग) स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के दौरान राज्यों द्वारा चूना चिह्नित गांवों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराने में देरी, गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति, मौसम की खराब स्थिति, कुछ राज्यों में दुर्गम/कठिन इलाके, हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ान की अनुमति में देरी जैसे मुद्दे कुछ ऐसे कारक हैं जो स्वामित्व योजना के तहत राज्यों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

(घ) योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निधियों के उपयोग के लिए राज्यों के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु बैठकों, वीडियो-सम्मेलनों, डैशबोर्ड डेटा आदि के माध्यम से राज्यों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न लक्ष्य समूहों हेतु वर्चुअल और आमने-सामने/प्रत्यक्ष प्रशिक्षण का एक उपयुक्त संयोजन अपनाया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षणों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनुकूल ऑडियो-विजुअल प्रशिक्षण सामग्री और एनीमेशन वीडियो, ऑडियो, ई-पोस्टर आदि जैसे मॉड्यूल तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है।

***

अनुबंध-I

'राज्यों का कार्य निष्पादन' के संबंध में दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत राज्य-वार प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या (6 दिसंबर, 2023 तक)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,874	1,876
2	आंध्र प्रदेश	677,905	21,371
3	अरुणाचल प्रदेश	3,711	1,100
4	असम	228,013	165,276
5	बिहार	404,741	71,527
6	छत्तीसगढ़	121,324	76,337
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	575	0
8	गोवा	1,777	144
9	गुजरात	29,090	956
10	हरियाणा	4,859	7,026
11	हिमाचल प्रदेश	108,721	13,991
12	जम्मू और कश्मीर	284,144	350,022
13	झारखंड	52,083	17,199
14	कर्नाटक	253,464	41,204
15	केरल	179,576	53,855
16	लद्दाख	204	0
17	लक्षद्वीप	0	0
18	मध्य प्रदेश	281,550	47,615
19	महाराष्ट्र	1,043,060	225,156
20	मणिपुर	895	4,367
21	मेघालय	11,598	257
22	मिजोरम	2,659	0
23	नागालैंड	1,832	1,505

24	ओडिशा	79,124	119,822
25	पुदुचेरी	0	0
26	पंजाब	36,380	1,535
27	राजस्थान	92,279	4,726
28	सिक्किम	13,563	2,657
29	तमिलनाडु	106,560	54,826
30	तेलंगाना	14,534	1,262
31	त्रिपुरा	7,743	5,838
32	उत्तराखंड	263,896	9,010
33	उत्तर प्रदेश	48,562	8,747
34	पश्चिम बंगाल	175,058	21,190
	कुल	**4,531,354**	**1,330,397**

अनुबंध-II

'राज्यों का कार्य निष्पादन' के संबंध में दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान और संपत्ति कार्ड तैयार करने/जारी करने के मामले में राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अधिसूचित गांव#	ड्रोन फ्लाइंग गाँव	तैयार प्रोपर्टी कार्ड वाले गाँव	तैयार प्रोपर्टी कार्डों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7409
2	आंध्र प्रदेश	17949	13176	490	189024
3	अरुणाचल प्रदेश	5484	2197	0	0
4	असम	1074	900	0	0
5	छत्तीसगढ़	18500	13079	326	17556
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	80	80	75	4397
7	दिल्ली	31	31	0	0
8	गोवा	410	410	410	672646
9	गुजरात	13132	12372	1713	262000
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	10735	80	1200
12	जम्मू और कश्मीर	4590	4053	286	10116
13	झारखंड	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30715	8225	2960	937829
15	केरल	1415	203	0	0
16	लद्दाख	243	232	95	2796
17	लक्षद्वीप	10	10	0	0
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	18622	2314204
19	महाराष्ट्र	37819	36,819	12084	1866661
20	मणिपुर	3856	209	0	0
21	मिजोरम	864	215	9	1155
22	ओडिशा	3356	2435	43	1500
23	पुदुचेरी	96	96	92	2801

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अधिसूचित गांव#	ड्रोन फ्लाइंग गाँव	तैयार प्रोपर्टी कार्ड वाले गाँव	तैयार प्रोपर्टी कार्डों की संख्या
24	पंजाब	11718	8040	92	15231
25	राजस्थान	36901	27,366	3060	172527
26	सिक्किम	1	1	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0
29	त्रिपुरा	898	1	0	0
30	उत्तर प्रदेश	90908	90908	51728	7281790
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229
	कुल	**3,52,912**	**2,88,942**	**1,06,007**	**1,63,65,693**

#राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार गांवों की संख्या

***